



न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-107 के तहत

वाद सं०-एम० 47/2022

तुषार अंजनी भगत वगैरह बनाम दिलीप कुमार जायसवाल वगैरह

तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
1	2	3

25-04-2022

प्रस्तुत वाद में धारा-107 द० प्र० सं० के थाना प्रमारी बुण्डू के अप्राथमिकी संख्या-20/22 दिनांक 14/03/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भूमि विवाद का कारण है।

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द० प्र० सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उन्से प्रत्येक को 50,000/- (पचास हजार) रु० मात्र का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अगिलेख तिथि 28-05-2022 को उपस्थापित करें।


अनुमण्डल दण्डाधिकारी  
बुण्डू।

आदेश एवं दफ्तरदार का हस्ताक्षर  
Order and Signature of Magistrate

आदेश की संख्या / तिथि  
Order No./Date

17-02-2023

अभिलेख उपस्थापित/प्रथम पक्ष क्रम सं०-03,04,05  
उपस्थित एवं अन्य अधिवक्ता हाजरी। द्वितीय पक्ष  
क्रम सं०-02,02 उपस्थित एवं अन्य अधिवक्ता  
हाजरी। इस वाद में वैधानिक समझ सीमा दरः  
(06) माह की अवधि पूर्ण हो चुका है, अर्थात्  
वाद कालवाधित हो गया है। अतः इस वाद में  
बिना कोई प्रभावी आदेश पारित किये अभिलेख  
की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

  
कार्य० दफ्तर०  
बुन्दू।

30

13-10